अनुदान संख्या 55 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 55- TRANSFERS TO UNION TERRITORY GOVERNMENTS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	1919,10,00	1924,11,00	1616,31,07	-307,79,93
पूरक	Supplementary	5,01,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				307,79,93
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-		72,00,00	72,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹30779.93 लाख) नवम्बर, 2010 और मार्च, 2011 में प्राप्त किए गए ₹501.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹30779.93 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹501.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 and constituted 16 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों	Grants-in-aid to				
को सहायता अनुदान	Union Territory Governments				
मू.	O.	191910.00			
पू.	S.	501.00	161631.07	161631.07	..
पु.	R.	-30779.93			

(I) “संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली” के अंतर्गत ₹122881.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹500.40 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹123381.40 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹29033.23 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निधियां जारी करने के लिए कम सिफारिश किए जाने और संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Under “Grants for Union Territory Plan Schemes - Block Grants - National Capital Territory of Delhi” – the original provision of ₹122881.00 lakhs was augmented to ₹123381.40 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹500.40 lakhs. However, there was a saving of ₹29033.23 lakhs (including supplementary grant) - due to less recommendation of funds for release by the Department of Information Technology and reduction of provision at revised estimates stage.

(II) “योजनेतर अनुदान - अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम - अन्य कार्यक्रम - 1984 के दंगों में मृत्यु, चोट, सम्पत्ति को क्षति के लिए अधिक मुआवजा” के अंतर्गत ₹2245.47 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से कम उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under “Non-Plan Grants - Other Social Security and Welfare Programmes - Other Programme – Enhanced Compensation for death, injury, damage to residential property in 1984 riots”- saving of ₹2245.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less utilisation certificates from Government of National Capital Territory of Delhi.

2. उपर्युक्त बचतें “संघ राज्य क्षेत्र की योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - पुदुचेरी” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं। ₹498.77 लाख का अधिक व्यय (₹0.60 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹17229.60 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवास एवं शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी करने के लिए सिफारिश में वृद्धि किए जाने के कारण हुआ।

2. The above savings were partly offset by excess under “Grants for Union Territory Plan Schemes - Block Grants - Puducherry”- excess of ₹498.77 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹17229.60 lakhs including token supplementary grant of ₹0.60 lakh) was due to increase in recommendation for release by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation and Ministry of Urban Development.